न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- भागीरथराम R.A.S.

राजस्व वाद सं. 31/2018

वादी	ब नाम	प्रतिवादी
भूराराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी भीमड़ा तह. बाड़मेर जिला बाड़मेर (राज.)		राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा

<u>वाद हेतु अधिकार घोषणा एवं निरस्त करने म्युटेशन धारा 88 आर.टी.ए</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 19.04.2018

उपस्थित :- श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी की ओर से

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी की ओर से

वादी ने न्यायालय में वर्तमान वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं. यह हैं कि वादी के हकपुर्वाधिकारी श्री छोगा पुत्र तिलाजी के कब्जा कास्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 283/709 (वर्तमान 709/283) सरहद मौजा राजस्व गॉव रातानाडा (पुर्व गांव खेड़) पटवार क्षेत्र खेड़ में अवस्थित रहा है, तदोपरान्त उक्त कृषि भूमि को वादी के द्वारा जरीये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.04.1987 दस्तावेज सं. 231/87 खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। वादी द्वारा खरीद की गई उक्त कृषि भूमि में दिनांक 27.03.1988 में वादी के नाम से नामान्तरणकरण सं. 1017 खोला गया। नामान्तरणकरण की उक्त प्रकिया के दौरान राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा सहवन से लिपीकिय त्रुटि वंश वादी का सही व वास्तविक नाम जो पंजीकृत बेचाननामा में भूराराम पुत्र चेतनराम दर्ज था, उसकी जगह अशुद्ध नाम सुराराम पुत्र चेतनराम दर्ज कर दिया। वादी ने न तो सुराराम के नाम से रजिस्ट्री करवाई और न ही वादी का कभी भी सुराराम नाम ही रहा। वादी ने दिनांक 10.10.2017 एवं दिनांक 12.10.2017 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर वादी को राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त अशुद्ध त्रुटि की प्रथम बार जानकारी हुई, वादी ने दिनांक 01.12.2017 को प्रतिवादी को लिखित विधिक स्टेच्युटरी नोटिस जरीये पंजीकृत डाक भेजा लेकिन उसके उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही हुई, राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अशुद्ध दर्ज होने से वादी को भूमि के उपयोग उपभोग में परेशानी हो रही है, जिससे वादी द्वारा वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज कर प्रतिवादी को जरीये सम्मन तलब किया, प्रतिवादी भूमिधारक की ओर से पैरोकार उपस्थित आये।

दोनो पक्षो की बहस सुनी, वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराया और कथन किया, कि राजस्व रेकर्ड में माफिक बेचाननामा प्रविष्टिया अंकित नही होने से वादी सरकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहा है, इसलिये माफिक बेचाननामा वादी का नाम रेकर्ड में दुरस्त किया जावे, भूमिधारक ने पंजीकृत बेचाननामा में दर्ज प्रविष्टियो अनुसार रेकर्ड दुरस्त करने में अनापत्ति जाहिर की।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया, पत्रावली के अवलोकन व अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया, कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 14.04.1987 में खरीददार का नाम भूराराम दर्ज है, जबकि उसके आधार पर खोले गये म्युटेशन स. 1017 में भूराराम के स्थान पर सुराराम दर्ज कर हुआ जो एक लिपिकिय त्रुटि प्रतित हो रहा है, जिससे उक्त लिपिकिय त्रुटि को दुरस्त करना उचित प्रतित हो रहा है, इस प्रकार की दुरस्ती करने से राज्य हित के विपरीत कोई असर नही होगा, बल्कि रेकर्ड दुरस्त होगा।

अतः बाद विवेचन वादी का वाद स्वीकार कर खेत खसरा सं. 283/709 (वर्तमान 709/283) सरहद मौजा राजस्व गॉव रातानाडा (पुर्व गांव खेड़) पटवार क्षेत्र खेड़ की खतौनी में सुराराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम भूराराम पुत्र चेतनराम जाति मेगवाल निवासी भीमड़ा तह. व जिला बाड़मेर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती कर रेकर्ड दुरस्त करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तारीख 19.04.2018 को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner